राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.13(क)(1)गृह–2 / 2022 जयपुर, दिनांकः

आज्ञा

विषयः–पुलिस कर्मियों को अल्पाहार भत्ते की स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.12.2004 एवं 26.07.2005 में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन कानिस्टेबल, हेड कानिस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों को कठिन एवं विषम परिस्थतियों में लगातार कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु ड्यूटी देने पर वर्तमान में स्वीकृत अल्पाहार भत्ता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 / –में वृद्धि करते हुये राशि रू. 20 / – प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह आज्ञा दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होगी। व्यय संबंधित बजट मदों से वहन किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की मांग संशोधित अनुमान वर्ष 2023–24 के समय की जा सकेगी।

यह आज्ञा वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 122300021 दिनांक 03.08.2023 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव,गृह(पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा– I), राजस्थान जयुपर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,गृह(पुलिस)

Signature valid

Digitally signed by Jagveer Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2023.08.14 19:01:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4494571

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112, प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचि. जयपुर T.No. 0141-2227294/Ext. 22325,22324 (San-22/ 1)

Scanned with OKEN Scanner